20 फरवरी, 2015 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 64वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 64.9 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 7 अप्रैल, 2015 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड जो झर्सूगुडा, ओडिशा में वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड को एल्युमिनियम बनाने की सुविधाएं स्थापित करने के लिए 9 अप्रैल 2009 को एलओपी जारी किया गया है। यूनिट को चौथा विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 7 अप्रैल, 2015 तक है।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने सभी निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा मशीनरी इंस्टाल कर ली गई है।
(ii) एजेंसी ने विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए आईपीपी यूनिट की भी व्यवस्था की है। उड़ीसा सरकार द्वारा इस पर लेवी लगाए जाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।
(iii) इस समय स्मेल्टर की कुल क्षमता के केवल **5** प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है।
(iv) यूनिट ने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तथा ट्रायल प्रोडक्शन का निर्यात भी किया जा रहा है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 23 अप्रैल 2015 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के माध्यम से मिहान एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 23 अप्रैल, 2015 तक है।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने 28.55 करोड़ रुपए की भूमि लागत सहित 506 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
(ii) पिछले एक साल के दौरान 40 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।
(iii) कुल निर्माण कार्य का 70 प्रतिशत पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 10 नवंबर 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स यश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 23/1, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 10 नवंबर, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 10 नवंबर, 2014 तक थी।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

- (i) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 6.21 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है जिसमें से 3.25 करोड़ रुपए का निवेश पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद से वृद्धिमूलक निवेश है।
- (ii) एमआईडीसी से कब्जा प्राप्त हो गया है।
- (iii) वास्तुशिल्प तथा संरचना इंजीनियर की नियुक्ति की गई है।
- (iv) पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 10 जनवरी 2014 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- (v) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने के लिए सहमति 23 जुलाई 2014 को प्राप्त हो गई है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 64.10 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा मंगलौर, कर्नाटक में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

655.5043 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 16.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यूनिटों के संयोजन को सामान्य अवसंरचना प्रदान करने के लिए ग्रीन फील्ड कैंपस जिसमें सक्रिय फर्मास्युटिकल संघटक (एपीएल), उन्नत मध्यवर्ती (एआई), कृषि रसायन (एसी) शामिल हैं, स्थापित करने तथा कैंपस के लिए सामान्य अवसंरचना विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किए जाने के लिए प्रारूप सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। एकबारगी ब्याज मुक्त अप्रतिदेय लीज प्रीमियम के लिए 50.56 करोड़ रुपए का पट्टा किराया तथा अप्रतिदेय लीज प्रीमियम को एक बार संपूरित करने के लिए 2.53 करोड़ रुपए देय है। पट्टा की अवधि 26 जनवरी 2060 तक है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी सीएमए मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी सीएमए मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 27.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल (सीटी-4) तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 दिसंबर, 2014 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप उप पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है। 125 रुपए प्रति वर्गमीटर का उप पट्टा किराया प्रभावी तिथि से वार्षिक आधार पर देय है जिसमें हर तीसरे साल 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। उप पट्टा की अवधि 16 फरवरी 2031 तक है।

सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)**
1.	कंटेनर जेट्टी, यार्ड तथा संबद्ध सुविधाओं का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण	लागू नहीं	जेट्टी : 35100 वर्गमीटर यार्ड : 272700 वर्गमीटर

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम महिरी, बुद्रुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बायोटेक के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसजे कंट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

16.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एस जे कंट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2.695 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कारखाना भवनों, जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपयुक्त प्रयोगशालाओं के निर्माण, कैफेटीरिया एवं कैंटीन के निर्माण, स्प्रिंकलर, फायर एंड स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, लैंड स्केपिंग तथा जल पिंडों के निर्माण, जलापूर्ति वितरण नेटवर्क, सीवेज सिस्टम नेटवर्क तथा भवन प्रबंध सिस्टम के निर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 25 नवंबर, 2014 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। इस करार के अनुसार विकासक सह विकासक द्वारा निष्पादित सुविधा का

स्वामी बना रहेगा। विकासक अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान एवं अनुरक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि के लिए 100 वर्गमीटर का क्षेत्रफल पट्टा पर देने के लिए सहमत है। विकासक को सह विकासक 15000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान करेगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 64.11 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल)	मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1856.5335	हां	हां	18 सितंबर 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में आस्थगित कर दिया गया था।

गृह मंत्रालय ने पत्र दिनांक 22 जुलाई 2014 के माध्यम से प्रस्ताव को सुरक्षा स्वीकृति प्रदान की है।

विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव पर एसईजेड के अनुमोदन बोर्ड की 59वीं, 61वीं, 62वीं और 63वीं बैठक में विचार किया गया। 18 सितंबर 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 63वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि राजस्व विभाग ने कुछ और सूचना प्रदान करने तथा प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

उपर्युक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में प्रस्ताव पर राजस्व विभाग की टिप्पणियां विकास आयुक्त, केएएसईजेड को उनकी राय के लिए अग्रेषित की गई। इस बीच एपीएसईजेडएल ने पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2014 के माध्यम से अनुमोदन के लिए एक नया संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें डीटीए से प्रस्तावित एसईजेड तक कार्गो मूवमेंट के लिए एक फेंस्ड डेडीकेटेड रोड कोरिडोर का विकास शामिल था जो मौजूदा एवं प्रस्तावित एसईजेड के क्षेत्रों को अलग करेगा। टिप्पणियों के लिए प्रस्ताव डीजीईपी और विकास आयुक्त, केएएसईजेड को अग्रेषित किया गया।

डीजीईपी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 12 नवंबर 2014 को आयोजित बैठक में चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने की थी तथा विकास आयुक्त, एपीएसईजेड एवं मैसर्स एपीएसईजेडएल के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इस बैठक का कार्यवृत्त अनुबंध 1 के रूप में उपलब्ध है।

पत्र दिनांक 17 नवंबर 2014 के माध्यम से डीजीईपी से इस मामले में नवीनतम स्टेटस प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ताकि विकासक के प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जा सके। डीजीईपी ने पत्र दिनांक 3

दिसंबर 2014 के माध्यम से सूचित किया है कि विकासक के संशोधित प्रस्ताव की जांच की गई है तथा उनकी टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

डीजीईपी ने पत्र 3 दिसंबर 2014 और 6 फरवरी 2015 के माध्यम से सूचित किया है कि विकासक के प्रस्ताव की जांच की गई है। उन्होंने बताया है कि राजस्व विभाग के निम्नलिखित सरोकारों को दूर नहीं किया गया है:

(i) वाणिज्य विभाग ने अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख हो कि ईजीओएम के निदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2008 की शर्तों के अनुसार कोर्ट में निर्मित क्षेत्र का निरूपण पूरा हो गया है।

(ii) प्रस्तावित एसईजेड के लिए अभी तक स्वतंत्र मार्ग स्थापित नहीं हुआ है। भूखंडों को एसईजेड के रूप में औपचारिक रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व विकासक को यह कार्य पूरा करना होगा।

मौजूदा एसईजेड के निरूपण का मामला इस समय निरूपण आदेश जारी करने के लिए विभाग में विचाराधीन है।

जहां तक प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र मार्ग का संबंध है, विकास आयुक्त, एपीएसईजेड से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है तथा बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 64.12 : विविध मामले

(i) जीआईडीसी-2 जलाशय - रहियाड से आरआईएल - दाहेज यूनिट तक दाहेज एसईजेड लिमिटेड से होते हुए 8 एमजीडी की वाटर सप्लाई पाइप लाइन बिछाने के लिए मार्गाधिकार के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) से अनुरोध

मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डीटीए क्षेत्र में डाकघर दाहेज, जिला भड़ूच में नर्मदा नदी के तट पर पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) में स्थित पूर्णत: एकीकृत पेट्रोरसायन कम्प्लेक्स है। डीटीए में दाहेज विनिर्माण कम्प्लेक्स में विभिन्न उत्पादन यूनिटें तथा कैप्टिव पावर प्लांट हैं। दाहेज कम्प्लेक्स के लाजिस्टिक्स का प्रबंधन आरडीएमटी (रिलायंस दाहेज मरीन टर्मिनल) नामक नदी जेट्टी द्वारा तथा सड़क परिवहन के माध्यम से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

आरआईएल, दाहेज अपनी परियोजनाओं का और विस्तार करने जा रहा है। परियोजनाओं के निर्माण एवं प्रचालन के लिए उन्होंने जीआईडीसी की जलापूर्ति योजना में 8 एमजीडी पानी की बुकिंग की है। पीसीपीआईआर में औद्योगिक विकास की सहायता के लिए दाहेज क्षेत्र के जीआईडीसी ने नर्मदा नदी से पानी प्राप्त करने के लिए ग्राम रहियाड, तालुक वागरा, दाहेज 2 क्षेत्र में 220 मिलियन गैलन क्षमता के जलाशय के साथ 75 एमजीडी की जलापूर्ति योजना तैयार की है। उक्त जलाशय उनके विनिर्माण प्लांट से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है।

उन्होंने 8 एमजीडी पानी की आपूर्ति के लिए जीआईडीसी के जलाशय से आरआईएल, दाहेज यूनिट (लगभग 16 किलोमीटर) तक 42 इंच व्यास की जीआरपी पाइप लाइन बिछाने की योजना बनाई है। जीआईडीसी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, उन्होंने ऐसे रूट का प्रस्ताव किया है जो दाहेज एसईजेड के यूटिलिटी कोरिडोर (लगभग 6.3 किलोमीटर) से होते हुए गुजर रहा है। जलापूर्ति की उक्त पाइप लाइन उनकी विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइफलाइन होगी।

दाहेज एसईजेड के विकासक ने प्रस्तावित रूट का सत्यापन किया है तथा 21 जनवरी 2015 को उनको सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया है तथा वे आरओयू प्रभारों का भुगतान कर चुके हैं।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 2)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) शेयर होल्डिंग तथा प्रबंधन में परिवर्तन के लिए मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो राजीव इनफोटेक पार्क, फेज 1, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक है, को एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 7 फरवरी 2012 को मंजूरी प्रदान की गई थी।

सह विकासक ने सूचित किया है कि मैसर्स असेंडास प्रापर्टी फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या उसके ग्रुप की कोई भी कंपनी (जो असेंडास इंडिया ट्रस्ट ग्रुप का हिस्सा है) (असेंडास) ने मैसर्स एफडीपीएल की संपूर्ण निर्गत एवं प्रदत्त पूंजी का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। असेंडास और मैसर्स एफडीपीएल ऐसी व्यवस्था करने के लिए सहमत हैं जिसके माध्यम से असेंडास एफडीपीएल में वित्त पोषण द्वारा निर्माण के लिए धन लगाएगा और इसके बाद कुछ शर्तों का निर्वहन होने पर एफडीपीएल के सभी शेयर उसके शेयर धारकों से खरीदेगा। यह लेनदेन प्रोपराइटरी स्वरूप का है। इस संबंध में मैसर्स एफडीपीएल ने मैसर्स एफडीपीएल के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की बिक्री / अंतरण के लिए शेयर क्रय करार (एसपीए) दिनांक 23 दिसंबर 2014 किया है।

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों का प्रकार	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
1.	श्रीकांत परांजपे	साधारण इक्विटी शेयर	5,009	7.15
		क्लास ए इक्विटी शेयर	2,374	
2.	शशांक परांजपे	साधारण इक्विटी शेयर	5,009	7.15
		क्लास ए इक्विटी शेयर	2,374	
3.	पल्लवी बापत	साधारण इक्विटी शेयर	94	0.63
		क्लास ए इक्विटी शेयर	560	
4.	सुधीर बापत	साधारण इक्विटी शेयर	94	0.63
		क्लास ए इक्विटी शेयर	560	
5.	परांजपे स्कीम (कंस्ट्रक्शंस) लिमिटेड	साधारण इक्विटी शेयर	4,488	25.79
		क्लास ए इक्विटी शेयर	22,132	
6.	सुनील पाटिल	साधारण इक्विटी शेयर	1,930	3.80
		क्लास ए इक्विटी शेयर	1,993	
7.	विवेक जाधव	साधारण इक्विटी शेयर	2,765	3.80
		क्लास ए इक्विटी शेयर	1,159	
8.	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड (जो इंडियाराइट फंड स्कीम 1 के न्यासी के रूप में काम कर रहा है)	साधारण इक्विटी शेयर	805	5.40
		क्लास ए इक्विटी शेयर	4,760	
		क्लास बी इक्विटी शेयर	2	
9.	इंडियाराइट आफशोर फंड	साधारण इक्विटी शेयर	3,219	21.57

		क्लास ए इक्विटी शेयर	19,040	
		क्लास बी इक्विटी शेयर	8	
10.	अब्सोल्यूट बिल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	क्लास ए इक्विटी शेयर	24,848	24.07
	कुल		1,03,223	100

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर			कुल
		साधारण शेयर	क्लास ए शेयर	क्लास बी शेयर	
1.	असेंडास प्रापर्टी फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और /या इसके नामिती	23,413	79,800	10	1,03,223
	कुल	23,413	79,800	10	1,03,223

विकास आयुक्त एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 3)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

*****